

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी श्री- ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 98/2022

वादीगण-

1. हडमान राम पुत्र उगमाराम
जाति- नायक, निवासी-दुगस्ताऊ, तहसील-जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. नरसीराम पुत्र उगमाराम
2. गुलाबीदेवी पत्नि उगमाराम
3. नाबालिग निरमा दोहिती गुलाबीदेवी जरिये सरंक्षक
4. नाबालिग भरत दोहिता गुलाबी देवी जरिये सरंक्षक
5. जसुदेवी पुत्री उगमाराम
6. बाजूदेवी पुत्री उगमाराम
7. श्रवणीदेवी पुत्री उगमाराम
जातियान-नायक, निवासी- दुगस्ताऊ, तहसील जायल जिला नागौर।
8. तहसीलदार जायल।
9. हीराराम पुत्र रावताराम जाति नायक निवासी दुगस्ताऊ तहसील जायल जिला नागौर।

दावा बाबत बंटवाडा खेताय एवं रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्द राम ढाका अधिवक्ता वादी।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता श्रीप्रतिवादी संख्या 1 ता 7 व 9 राजपैरोकार उपस्थित

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीग मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या संख्या 7 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -

1. वादी हडमानराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा कुसिया के खेत ख.न. 135 रकबा 2.7438 हेक्टेयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी सं. 1 नरसीराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा दुगस्ताऊ के ख. न. 1194 रकबा 1.0279 हेक्टेयर में से पश्चिमी तरफ का 0.51395 हेक्टेयर, व मौजा कुसिया के खेत ख.न. 137 रकबा 1.5449 हेक्टेयर सम्पूर्ण व खेत ख.न. 138 रकबा 1.0926 हेक्टेयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी सं. 2 से 4 के सयंक्त हक बंट कब्जा काश्त व सहखातेदारी में मौजा दुगस्ताऊ के खेत ख.न. 1682 रकबा 1.1979 हेक्टेयर सम्पूर्ण घोषित किया जाता है।



प्रतिवादी सं. 9 हीराराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा दुगस्ताऊ के खेत ख.न. 1194 रकबा 1.0279 हेक्टेयर मे से पूर्वी भाग रकबा 0.51395 हेक्टेयर भाग घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं. 5 से 7 के बंट मे कृषि भूमि नहीं रखने तथा अपनी ईच्छा से हक त्याग करने से इनका नाम मौजा दुगस्ताऊ व कुसिया के खाता सं. क्रमशः 25 व 9 मे से हटायें जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण पुश्तैनी बडेर की भूमि हक त्याग द्वारा अन्तरण का होने से आवश्यक स्टाम्प शुल्क वादी द्वारा कार्यालय उपपंजीयक जायल में जमा कराने पर अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/12/2022 को जारी की गई।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल